प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–07.10.2016 को अमृत योजनाओं की समीक्षा की कार्यवाही:–

<u>उपस्थिति :–</u> पंजी के अनुसार।

<u>कार्यवाही :–</u>

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सर्वप्रथम सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए भारत सरकार से बिहार सरकार को अमृत योजना अंतर्गत 15.04 करोड़ की इनसेंटिव प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त किया गया। आगे भी तत्परता से इस योजना के क्रियान्यवयन किए जाने का निर्देश दिया गया। विन्दुवार अमृत योजनाओं की समीक्षा की गयी जो निम्न है:–

1. अमृत योजना से अच्छादित सभी नगर निकायों द्वारा जलापूर्ति योजना के लिए स्वीकृत राशि बिहार राज्य जल पर्षद को हस्तनान्तरण:–

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय आदेश सं0–212 सह पठित ज्ञापांक– 1007 दिनांक–26.05.2016 द्वारा अमृत योजना के सम्बद्ध सभी 26 नगर निकायों को केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि विमुक्त की गई है जिसमें जलापूर्ति योजना तथा पार्क योजना के लिए अलग–अलग राशि अंकित है।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग के राज्यादेश सं0– 114 आवंटनादेश सं0– 115 दिनांक– 01.03.2016 द्वारा अमृत योजना के सम्बद्ध सभी 26 नगर निकायों को राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि आवंटित की गई है। विभाग के पत्रांक–03/AMRUT–03–01/2016 –1059 दिनांक–01.06.2016 में राज्यांश की विमुक्त प्रथम किस्त की राशि में जलापूर्ति योजना एवं पार्क योजना के अलग–अलग राशि अंकित है।

(iii) पूर्व से ही निदेशित है कि जलापूर्ति का प्राप्त राज्यांश तथा केन्द्रांश की राशि सभी सम्बद्ध नगर निकायों द्वारा प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य जल पर्षद को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।

(iv) प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि संबंधित नगर निकाय यथा आरा द्वारा 1195.48 लाख, बक्सर द्वारा ~~290.20~~ 293.20 लाख, सीवान द्वारा 373.00 लाख तथा दरभंगा द्वारा 498.50 लाख मात्र उपलब्ध कराया गया है।

(v) कार्यपालक पदाधिकारी छपरा द्वारा बताया गया कि उन्हें केन्द्रांश की राशि R.T.G.S. से अद्यतन प्राप्त नही है। किस लेखा संख्या में कब उपलब्ध कराया गया है, की जानकारी उन्हें बैठक में उपलब्ध करा दिया गया। निर्देश दिया गया कि जाँच कर प्रतिवेदन दिया जाय तथा 15.10.2016 तक राशि हस्तनान्तरण कर दी जाय।

(vi) नगर निगम बेगुसराय के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पूर्व के नगर आयुक्त का स्थानान्तरण हो गया है। प्रभारी पदाधिकारी को वित्तीय शक्ति प्राप्त होते ही आवंटित राशि का हस्तनान्तरण कर दी जायेगी।

(vii) नोडल पदाधिकारी अमृत योजना को निर्देश दिया गया कि नगर परिषद् मुंगेर को दिए गए जलापूर्ति के आवंटन को वापस कर लिया जाय। उपस्थित मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को निर्देश दिया गया कि मुंगेर के जलापूर्ति से सम्बन्धित विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के साथ बैठक कर निर्णय लिया जा सके।

(viii) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि अमृत योजना के सम्बद्ध सभी नगर निकाय पार्क योजना का आवंटन अपने पास रखेंगे तथा जलापूर्ति के प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश का आवंटन दिनांक– 15.10.2016 तक प्रबन्ध निदेशक बिहार राज्य जल पर्षद को उपलब्ध कराते हुए विभाग को संसुचित करेंगे।

(ix) विभाग द्वारा विमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश में जलापूर्ति तथा पार्क के लिए अलग–अलग राशि है। आरा द्वारा पार्क विकास के लिए आवंटित राशि भी B.R.J.P. को हस्तनान्तरण कर दिया गया है। इस तरह के और भी कोई नगर निकाय भूल वश पार्क विकास की राशि हस्तनान्तरण किए है, तो पत्र देकर बिहार राज्य जल पर्षद से राशि वापस प्राप्त कर लिया जाय।

2. जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्यवयनः–

(i) प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा बताया गया कि हाजीपुर, छपरा, सिवान, बक्सर, जहानाबाद, मोतीहारी एवं बगहा कुल 7 जिला में संवेदक को Letter of Acceptance निर्गत किया जा चुका है। कार्यादेश शीघ्र निर्गत कर कार्य प्रारम्भ कराने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि आरा के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर 15.10.2016 तक Letter of Acceptance निर्गत किया जाय तथा औरंगाबाद जलापूर्ति योजना का पुनर्निविदा 15.10.2016 तक आमंत्रित करना सुनिश्चित कराया जाय।

(ii) शेष 4 जिला बेगुसराय, दरभंगा, किशनगंज एवं बिहारशरीफ के स्वीकृत जलापूर्ति योजना की निविदा इस माह के अन्त तक आमंत्रित कर दी जाय।

(iii) 2016–17 के लिए स्वीकृत 7 जिलों जमालपुर, सहरसा, सासाराम, कटिहार, पूर्णियां, डेहरी एवं बेतिया के जलापूर्ति योजना का D.P.R. दिनांक– 15.11.2016 तक उपलब्ध कराये जाने का निर्देश प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद के उपस्थित मुख्य अभियंता को दिया गया ताकि S.L.T.C. से पास कराया जा सके।

3. ड्रेनेज योजनाः–

(i) बुडको के उपस्थित श्री जे0 एन0 सिंह (G.M.Tech)द्वारा बताया गया कि 2016–17 के SAAP के लिए स्वीकृत भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के ड्रेनेज योजना का D.P.R. 15.10.2016 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4. पार्क विकास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित पदाधिकारी द्वारा निम्नवत् जानकारी उपलब्ध करायी गयीः–

(i) बिहारशरीफ अंवेद पार्क का पुनर्निविदा शीघ्र किया जाय।

(ii) प्रतिनिधि बेतिया द्वारा बताया गया कि Digital Signature नही होने के कारण निविदा नही की गई है शीघ्र कर दिया जायेगा।

(iii) बक्सर द्वारा बताया गया कि निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, आज प्राप्त किया जायेगा।

(iv) सासाराम – 27.10.2016 तक निविदा प्राप्त की जायेगी।

(v) मुंगेर – निविदा आमंत्रित, 13.11.2016 को प्राप्त की जायेगी।

(vi) दरभंगा – निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(vii) सीवान, मोतीहारीः– निविदा प्राप्त कर ली गई है। इसके स्वीकृति हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाय।

(viii) औरंगाबाद, डेहरी, भागलपुर, गया एवं छपरा जिला के स्वीकृत पार्क का तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन अद्यतन अप्राप्त है। निर्देश दिया गया कि 15.10.2016 तक तकनीकी तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(ix) हाजीपुर एवं जमालपुर के स्वीकृत पार्क की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निदेश दिया गया कि परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु शीघ्र उपलब्ध करते हुए निविदा आमंत्रित की जाय।

(x) किशनगंज का परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु प्राप्त है। नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 15.10.2016 तक परिमाण विपत्र अनुमोदन कर दिया जाय।

5. पार्क विकास योजना (SAAP 2016–17)

(i) अद्यतन मात्र आरा का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। आज मुजफ्फरपुर का प्राक्कलन प्राप्त हुआ। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्देश दिया गया कि अमृत के दिशा निर्देश के आलोक में D.P.R. तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि S.L.T.C. का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

6. AMRUT योजना अच्छादित सभी नगर निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को निदेश दिया गया कि भारत सरकार के Project Creation and Updation System पर सभी योजनाओं की प्रविष्टी कर उसे अद्यतन कर लिया जाय। इसके लिए सभी नगर निकायों को पूर्व में ही पासवर्ड एवं आई0डी0 उपलब्ध करा दिया गया है।

अन्त में दुर्गा पूजा के शुभ कामना व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

14/10/2016

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार।

ज्ञापांक–03/AMRUT-03-08/2016 2297 पटना दिनांक–17/10/16

प्रतिलिपि :– AMRUT योजना अच्छादित सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, बी0आर0जे0पी0 एवं प्रबंध निदेशक, बुडको को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/2016

प्रधान सचिव,